



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-1045/2026/140/22-2-2026-17(58)/2024
लखनऊ : दिनांक: 06 अगस्त, 2026
आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 एवं 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (10 दिसम्बर, 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी शिवनाथ (बन्दी संख्या-163/2018) पुत्र श्री देवमूरत, ग्राम-भीषमपुर, थाना-चकिया, जनपद-चन्दौली का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-454/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कोर्ट संख्या-1, चन्दौली के आदेश दिनांक 16.11.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2023 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2025 तक. अपरिहार 17 वर्ष 08 माह 21 दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1045/2026/140(1)/22-2-2026 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्य, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, चन्दौली।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।